

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 17 / 06 / 2020

क्रमांक 447/एफ 2019-04-05142/स्था./चारः श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव, संयुक्त संचालक, द्वारा छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में प्रस्तुत याचिका क्रमांक 180/2020 के निर्णय दिनांक 05.03.2020 में एक माह के भीतर प्रकरण का निराकरण करने का आदेश है।

2. उक्त न्यायालय निर्णय के परिपालन में राज्य शासन एतद्वारा श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव को संयुक्त संचालक, संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर में पदस्थ करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार.



(प्रेमा गुलाब एक्का)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ. क्रमांक 448/एफ 2019-04-05142/स्था./चार

नवा रायपुर, दिनांक 17/06/2020

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
2. महाधिवक्ता कार्यालय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर
3. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन/वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नवा रायपुर अटल नगर
4. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
5. वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, इन्द्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर
6. संबंधित अधिकारी की ओर पालनार्थ
7. आदेश फोल्डर हेतु

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग